कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद नैनीताल (हल्द्वानी)
ईमेल–cfontl.ukfs@gmail.com

पत्रांकः सीएफओ/एन/आरएनआर/A-155/828/2026–27

दिनांकः अक्टूबर 21, 2026

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
MOTHER'S GLORY PUBLIC SCHOOL
TANDA, RAMNAGAR DISTT-NAINITAL

विषय : अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवदेन यूनिक नम्बरः–31336722, दिनांकः 11.10.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन MOTHER'S GLORY PUBLIC SCHOOL, TANDA, जनपद–नैनीताल का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन रामनगर द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रामनगर की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.10.2026 के अनुसार अग्नि सुरक्षा हेतु एबीसी टाईप 04 किग्रा क्षमता के 15 अदद्, एबीसी टाईप 06 किग्रा क्षमता के 04 अदद्, सीओटू 4.5 किग्रा 01 अद्द व एएफएफएफ 09 ली0 01 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर बकेट 05 अद्द, होजरील मय फिटिंग्स 03 अदद्, पम्प 1.5 एचपी, 50 हजार ली0 क्षमता का अण्डर ग्राउन्ड वाटर टैंक व 10 हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड टैक स्थापित किया गया है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से शैक्षिक भवन उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

- निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमासार(10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड– 0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण' के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्वः घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानको के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की रामनगर की संस्तुति के आधार MOTHER'S GLORY PUBLIC SCHOOL, TANDA, RAMNAGAR जनपद नैनीताल का (ब्लॉको की संख्या 01, तलों की संख्या 04 जिसमे भूतल में 08 कमरे, प्रथम तल में 10 कमरे, द्वितीय तल में 10 कमरे, तृतीय तल में 12 कमरे कुल 40 कमरें हेतु) प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांकः 21अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2029 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. शैक्षिक भवन /संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण,Land Use Changeमें बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन(Update)स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
7. शैक्षिक भवन का प्रयोग अन्य किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि हेतु प्रयोग में नही लाया जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)।

प्रतिलिपिः–अग्निशमन अधिकारी रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।